कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)– 490024

(पूर्व नाम– चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग,छ.ग.)

क्रमांक/FINACC-38029/1060/2026-PURCHASE SECTION दुर्ग, दिनांक 16.010.2026

// कोटेशन सूचना //

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग में छात्रों के परिवहन हेतु उपयोग होने वाले वाहनों के इंश्योरेंस कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु इच्छुक फर्मो से बंद लिफाफे में कोटेशन (भाव पत्र) आमंत्रित की जाती है । कोटेशन में दिये जाने वाले दरों का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है :–

No.	Vehicle Registration No.	Make/Model	Insurance Amount Rs.	GST @	Total Rs.
01	CG 07 AJ 8289 (SUV)	TOYOTA /2013			
02	CG 07 E 1187 (BUS)	TATA MOTORS/2013			
03	CG 07 E 1079 (BUS)	FORCE/2013			

नियम एवं शर्ते :–

01. प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी ।
02. कार्यालयीन (समय:– प्रात: 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक) समय में संबंधित वाहन का अवलोकन किया जा सकता है एवं वाहन से संबंधित अन्य जानकारी, वाहन शाखा से प्राप्त की जा सकती है ।
03. प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें ।
04. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म को काली सूची (Black Listed) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
05. समस्त क्रय की प्रक्रिया छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे ।
06. अत: उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में वेबसाईट में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नही किये जावेंगे ।

Digitally signed by
TRIPTI NAGARIA
Date: 21-10-2026
17:23:11

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)